

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 2024—फाल्गुन 7, शक 1945

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2024

क्र. एफ 01-05-05-0002-2024-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में पशुपालन और डेयरी विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है:—

अनुसूची-एक

(1) पशुपालन और डेयरी विभाग

अनुसूची-“दो”

दिव्यांगजनों के लिये चिन्हांकित पदों की जानकारी

विभाग : पशुपालन और डेयरी विभाग

पद की श्रेणी	पद/सर्वग का नाम	सीधी मर्ती के कुल स्वीकृत पद	सीधी मर्ती के द्वारा भरे हुये पद	रिक्त पद (3-3a)	निशक्तजनों के लिए चिन्हांकित पदों की कुल संख्या का कुल योग (8%)	दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित पद/भरे पद/रिक्त पदों की जागरूकी										रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी	माक					
						भरे पद	रिक्त पद	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) चिन्हांकित पद	भरे पद	रिक्त पद	लोकानीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक, पीडित मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5%) चिन्हांकित पद	भरे पद	रिक्त पद	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु-विकलांगता (1.5%)	भरे पद			रिक्त पद	कुल योग (5+8+11+14)	कुल भरे पद (6+9+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)	
1	चतुर्थ श्रेणी	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	कुल	612	0	612	37	10	0	10	9	9	9	9	0	9	9	0	9	37	0	37		
	कुल	612	0	612	37	10	0	10	9	9	9	9	0	9	9	0	9	37	0	37		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज पुष्प, अपर सचिव.